न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 09 / 2025 बउनवानी श्रीमति प्रियंका गौत्तम **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर
निवासी1 / 506 हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/35

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' *गोपनीय अनुभाग मे कार्यरत कर्मचारी श्री देवप्रिय गौत्तम व0 सहायक को भुगतान किये गये वेतन बिल की सूचना*'' अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)(117) / सूकाअ / 2024 / 188 दिनांक 24.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2024 में चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ. 13(1)(119) / सूकाअ / 2024 / 1198 दिनांक 18.12.2024 से श्री देवप्रिय गौत्तम को दि मार्च, 2020 से नवम्बर 2024 तक दिये गये वेतन की सूचना (जीए–55) की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.13(1)(119) / सूकाअ / 2024 / 1198 दिनांक 18.12.2024 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:07:41 IST
Reason: SelfAttested